

30.4.19

जह पतावली आदि की सुनिश्चिता

के द्वारा दिनांक 26.4.19 के प्रमुख आदेश

पर लक्ष्य की गयी प्रा-घटनीय सुनवाई

के लिये प्रा-घन वास्तु अपील नोट प्रेष

में स्वीकृत किये जाने का पत्र किया। आदि

अपील से वतावा की अपीलवासी व देख्ये।।

के प्रथम प्रथम विवाद नहीं रहा है शलालि

अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं और

अपील को नोट प्रेष में खारिज की जावे।

आदि-अपील अपील को आगे नहीं चलाना

चाहते हैं और अपील नोट प्रेष में खारिज की जावे।

आदि: अपील अपीलवासी नोट प्रेष किये

जावे के खारिज की जाती है पतावली के मल सुमार

लेखक वरुण के समर्थे।

राजस्व अपील अधिकारी

अजमेर